	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25/4/18	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली नुसार दिनांक 07/5/18 को पेश हो।	
03/5/2018	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर आदेश दिनांक दिया गया। वकील प्रार्थी स्वयं या उनके अधिवक्ता आज बार-बार आदेश दिनांक पर भी प्रार्थी स्वयं या उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। अतः पारित पत्र प्रार्थी आदेश हाजरी एवं आदेश पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली पेशकार खुला होकर दर्ज रजिस्टर से कम है। आदेश तहसील कार्यालय पलटर है। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।	उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (साँगानेर)